न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 80/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. भैरा पिता रामा बलाई
2. ईश्वरलाल पिता उदयराम बलाई नाबालिग बविलायत माता कैलाशी पत्नि उदयराम बलाई
3. सांवरमल पिता उदयराम बलाई नाबालिग बविलायत माता कैलाशी पत्नि उदयराम बलाई
4. मीना पुत्री उदयराम बलाई नाबालिग बविलायत माता कैलाशी पत्नि उदयराम बलाई
5. कैलाशी पत्नि उदयराम बलाई
6. सायरी बेवा प्रताप बलाई
7. नोसर पुत्री प्रताप बलाई

निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू पिता मोहन बलाई नाबालिग बविलायत जरिये दादी कंकु पत्नि दौला बलाई
2. मंशा मोहन बलाई नाबालिग बविलायत जरिये दादी कंकु पत्नि दौला बलाई
3. शांति पुत्री दौला बलाई
4. कमली पुत्री दौला बलाई
5. कंकु बेवा दौला बलाई
6. रतन पिता तुलछा बलाई
7. जमनी पुत्री तुलछा बलाई
8. प्रेमी पुत्री तुलछा बलाई
9. सोहनी पत्नि तुलछा बलाई
10. सोसी बेवा तुलछा बलाई
11. रामेश्वर पिता शिवा ढोली

सर्व निवासी गुढ़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

12. भगवानी उर्फ लक्ष्मी पुत्री सुरजा पत्नि शंकर बलाई निवासी हाल कारोई तहसील भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः– 25/11/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम गुढ़ा खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्य 634 रकबा 0.25हे0 635 रकबा 0.51हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.76हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 17 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 12 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

क्रमशः....02

Scanned by CamScanner

प्रकरण संख्या :— 80/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गुढ़ा खेड़ा पटवार हल्का भरक तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्य 634 रकबा 0.25हे0 635 रकबा 0.51हे0 कुल किता 02 कुल रकवा 0.76हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/— (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/— (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.11.25 15:52:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: